

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रधान कार्यालय

बैंक कार्यक्षेत्र अंतर्गत गनमैन एवं डंडागार्ड की आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें

1. निविदा फार्म की राशि रु. 1000/- + जीएसटी = रु.1180/- निर्धारित है। जिसका चालान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर की शाखा आकाशवाणी चौक के पास अम्बिकापुर में जमा किया जाना अनिवार्य है। निविदा फार्म हेतु जमा किये गये चालान की प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न किया जावे।
2. सेवा प्रदाता एजेंसी का गृह विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय/पुलिस विभाग से निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने का वैध एवं जीवित पसारा लाइसेंस अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. सेवा प्रदाता एजेंसी के स्थापना का जीवित पंजीयन प्रमाण - (1) नगर निगम (छ.ग.राज्य में दुकान एवं स्थापना के तहत वैध पंजीयन), (2) राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयन (3) श्रम विभाग (लेबर लाइसेंस) छ.ग.राज्य से ही होना चाहिए। स्व -सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावे।
4. सेवा प्रदाता एजेंसी का जीएसटी नंबर, पेन नंबर निविदा प्रपत्र में संलग्न करना होगा। पिछले तीन साल का आयकर रिटर्न/आडिटेड बैलेंस शीट जिसका सालाना टर्नओवर दो करोड से कम का ना हो, की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावे।
5. सेवा प्रदाता एजेंसी का वैध जीवित जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, जो कि मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य सेवा के लिए पंजीकृत हो। स्व -सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावे।
6. निविदा के साथ अमानत राशि रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का डी.डी. या बैंकर्स चेक "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर" के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में अमानत राशि वापसी योग्य होगी।
7. सेवा प्रदाता एजेंसी को बैंक मुख्यालय अम्बिकापुर के साथ -साथ कार्यक्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक की शाखाओं में सेवा प्रदान करना होगा, जिसमे लगभग 65 सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता होगी।
8. सेवा प्रदाता एजेंसी के पास गनमैन/डंडागार्ड के संचालन का छ.ग.में शासकीय संस्थाओं/बैंकिंग सेक्टर में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। जिसका सुरक्षा



- संचालन कार्यादेश पत्र किसी एक वर्ष में शासकीय संस्थान या बैंकिंग सेक्टर का होना चाहिए। लगातार सात वर्ष तक का शासकीय बैंक/शासकीय बीमा संस्थान में सुरक्षा सेवा कार्य किये जाने वाली एजेंसी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावें।
9. सेवा प्रदाता एजेंसी का वैध जीवित आई एस ओ सर्टिफिकेट की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावें।
 10. सेवा प्रदाता एजेंसी को सुरक्षा कर्मी संचालन हेतु कार्यालय श्रमायुक्त छ.ग. / अम्बिकापुर जिला कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना व छ.ग.न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित दर अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।
 11. सेवा प्रदाता सिक्युरिटी एजेंसी द्वारा जमा अंतिम एक वर्ष का पीएफ,ईएसआईसी एवं जीएसटी चालान की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 12. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर की शाखायें सरगुजा संभाग के पांच जिलों में स्थित है। अतः सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में निविदाकर्ता का कार्यालय होने पर प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। इस हेतु वैध गुमास्ता की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
 13. सेवा प्रदाता एजेंसी का विगत तीन वर्ष के दौरान छ.ग. राज्य के सहकारी बैंक में मानव संसाधन प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभवी को प्राथमिकता दी जावेगी।
 14. सभी सुरक्षा गार्ड को वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण के साथ ड्यूटी देनी होगी। एजेंसी के डंडा गार्ड एवं गनमैन का फोटो व्यक्तिगत विवरण, पता आदि दस्तावेजों के साथ एक प्रति में छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा।
 15. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कर्मचारियों की पदस्थी में परिवर्तन/स्थानान्तरण बैंक प्रबंधन की पूर्वानुमति से ही किया जावेगा। रविवार एवं बैंक अवकाश के दिनों में भी सुरक्षा हेतु डंडा गार्ड/गनमैन लगाने का दायित्व सिक्युरिटी एजेंसी का होगा। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक अथवा अप्रत्याशित घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी सिक्युरिटी एजेंसी की होगी।
 16. सेवा प्रदाता एजेंसी का निविदा चयन होने के उपरांत स्वीकृत सुरक्षा एजेंसी को प्रति निविदा रु. 75,000/- (रु. पच्चहत्तर हजार मात्र) की धरोहर राशि "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर" के पक्ष में फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा करना होगा। चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी का बैंक से अनुबंध की अवधि दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्य अवधि आगामी एक वर्ष हेतु आगे भी बढ़ायी जा सकती है।



17. सेवा प्रदाता एजेंसी का सर्विस चार्ज राशि में संपूर्ण ठेका अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
18. स्वीकृत एजेंसी के सुरक्षा कर्मी/अन्य मानव संसाधन द्वारा छ.ग. के अन्य जिला सहकारी बैंक/अपेक्स बैंक में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार बैंक के बोर्ड के पास होगा।
19. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई दरे समान पाये जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन तकनीकी योग्यता/कार्यानुभव (मेरिट लिस्ट- ANNEXURE-C) आदि के आधार पर सेवा प्रदाता एजेंसी को निविदा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।
20. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा यदि सफलता पूर्वक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि निविदा में जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए संस्था को काली सूची में दर्ज कर दें।
21. सेवा प्रदाता एजेंसी को प्रतिमाह शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दर समस्त श्रम नियमों का पालन करते हुए अपने सुरक्षा कर्मियों को भुगतान करना होगा और उसका देयक समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ – जैसे उपस्थिति पत्रक, लेबर पेमेंट, पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, आदि जमा के साक्ष्य के साथ बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान बैंक द्वारा किया जावेगा।
22. सेवा प्रदाता एजेंसी को काम पर लगाये जाने वाले समस्त सुरक्षा कर्मियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन एवं शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र समय – समय पर प्रस्तुत करना होगा।
23. सफल निविदाकर्ता /फर्म को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अलावा सभी सरकारी दायित्व (जैसे ईपीएफ, ईएसआईसी अंशदान का भुगतान सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
24. निविदाकर्ता /फर्म को सिर्फ सर्विस चार्ज प्रतिशत में भरना होगा जो की दर सुची पत्र बी में दर्शाया गया है।
25. सफल निविदाकर्ता को शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों (सर्विस टेक्स/जीएसटी एवं अन्य कर सहित के समय पर भुगतान की जवाबदारी होगी।
26. भविष्य में नवीन शाखा खोले जाने पर आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी की मांग होने की दशा में सुरक्षा कर्मी स्वीकृत दर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
27. सेवा प्रदाता एजेंसी को मुहर बंद लिफाफे के अंदर निम्नानुसार संलग्न कर मूल प्रति प्रधान कार्यालय अम्बिकापुर में जमा करना अनिवार्य होगा।



तकनीकी प्रपत्र :- निविदाकार /सेवा प्रदाता एजेंसी का पसारा लायसेंस, दुकान एवं स्थापना के तहत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, /पेन कार्ड/जीएसटी चालान की छायाप्रति, आयकर रिटर्न/आडिटेड बैलेंस शीट की छायाप्रति, कार्यानुभव की छायाप्रति, रू. 25,000/- (रू. पच्चीस हजार मात्र) प्रति निविदा का अमानत राशि डीडी/बैंकर्स चेक "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर" के पक्ष में देय आदि संलग्न करना होगा। निविदा कमेटी द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी प्रपत्र खोला जाएगा। संपूर्ण आवश्यक दस्तावेज निविदा के शर्तों के अनुसार होने पर वित्तीय पत्रक खोला जाएगा।

नोट – मुहरबंद लिफाफे के उपर “ गनमैन/डंडा गार्ड हेतु निविदा प्रस्ताव” अनिवार्यतः लिखा जावे।

28. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.12.2025 को समय 8.00 बजे तक ।
29. निविदा संबंधी शर्तों का अवलोकन बैंक की वेबसाईट www.jskbambikapur.com में भी किया जा सकता है।
30. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निविदा को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार बैंक प्रबंधन का होगा।



स्थापना प्रभारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
अम्बिकापुर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर (छ.ग.)

"प्रधान कार्यालय - देवीगंज रोड अम्बिकापुर (छ.ग.) 497001"

(दर सूची प्रपत्र-ब)

1. सेवा प्रदाता एजेंसी/संस्था का पूरा नाम व पूरा पता :-

2. निविदा हेतु संलग्न अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. का क्रमांक दिनांक राशि रु. (अक्षरी रु.) बैंक का नाम

यह कि मैं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर के प्रधान कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिलों बैंक की शाखाओं में सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति हेतु निम्नानुसार दर सूची प्रति पाली 08 घंटे के मान से प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :-

क्र	पदनाम	दर - प्रति माह, व्यक्ति, प्रति	ई.पी.एफ. (नियोक्ता का अंशदान)	ई.एस. आई.सी. (नियोक्ता का अंशदान)	बोनस (नियोक्ता का अंशदान)	कुल - योग	निविदाकार द्वारा लामांश/ सर्विस चार्ज आदि (प्रतिशत में)	कुल योग (8+9)	जी.एस. टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डंडा गार्ड (अर्ध कुशल)	छ.ग. शासन - श्रम विभाग के नियमानुसार	शासन के नियमानुसार	शासन के नियमानुसार	शासन के नियमानुसार	(3+4+5+6)	कम संख्या - 8 पर -%	कुल (8+9)	शासन के नियमानुसार अलग से देय होगा।
2	हथियार सहित सुरक्षा गार्ड (कुशल)	छ.ग. शासन - श्रम विभाग के नियमानुसार	शासन के नियमानुसार	शासन के नियमानुसार	शासन के नियमानुसार	(3+4+5+6)	कम संख्या - 8 पर -%	कुल (8+9)	शासन के नियमानुसार अलग से देय होगा।

नोट :-

1. दर सूची प्रपत्र -ब में सर्विस चार्ज दशमलव के बाद दो अंको तक ही मान्य होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदाकार द्वारा सम्पूर्ण दरें नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदाकार को अपात्र माना जावेगा।
4. बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि किसी भी संस्था को बिना किसी कारण बताये निविदा को किसी भी समय निरस्त कर सकती है।
5. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें समान पाये जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन तकनीकी योग्यता/कार्यानुभव (मेरिट लिस्ट) के आधार पर निविदा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।
6. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा यदि सफलतापूर्वक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि निविदा के समय जमा अमानत राशि को राजसात करते हुये संस्था के काली सूची में दर्ज कर दें तथा आगामी प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

दिनांक -



हस्ताक्षर व सील

निविदाकार / सेवा प्रदाता

MERIT LIST (ANNEXURE - C)

Name of Tendering Agency :

S.No.	Particulars	Minimum Marks	Maximum Marks
1	Agency / Tenderer must have office in Chhattisgarh In Case office in out side Chhattisgarh - 03 Marks In Case office in Chhattisgarh State but out side of Ambikapur Distt -06 Marks In Case office in Ambikapur Distt - 10 Marks	3	10
2	Work Order for Supply of Security Guards/Gunman , Currently deployed in banking sector / Insurance Sector / Govt Sector 01. for One Organisation = 05 Marks 02. Two Organisation =10 Marks Only Chhattisgarh State	5	10
3	Work Completion in Last 03 Years in Banking Sector / Insurance Sector / Govt Sector for minimum 40 Security Guards / Gunman in single order / work in only Chhattisgarh State 1. Year 2022 =05 Marks 2. Year 2023 = 10 Marks 3. Year 2024 = 15 Marks - For only Govt Sector 4. Year 2024 = 20 Marks for Only Govt Banking / Govt. Insurance Sector	5	20
4	Maximum Guard / Gunman had been deployed within 07 years in Cooperative Bank only in Chhattisgarh State in single work 1. Up to 40 Guards =05 marks 2. Up to 80 Guards = 10 Marks 3. Up to 125 Guards =15 Marks 4. Above 125 Guards = 20 Marks	5	20
5	Valid Labour License registered by Central/ State Govt 1. Up to 40 labour= 05 Marks 2. Up to 100 labour = 10 Marks	5	10
6	Networth of Contractor / Agency as on March 2024 1. Up to 02 Crore = 05 Marks 2. Up to 05 Crore = 07 Marks 3 Up to 05 to Above = 10 Marks	5	10
7	Minimum 200 employee EPF deposit should have done in last month , which will be verified by EPF portal 1. Up to 200 = 05 Marks 2. Up to 500 = 10 Marks 3. Up to 1000 = 15 Marks 4. Above 1000 = 20 Marks	5	20
		33	100

Sign of Contractor

Place :

Date :

